बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कॉर्पोरेट पहचान सं0(CIN)-. U45200BR1974SGC001126

प्रधान कार्यालय–कौटिल्य नगर, बि0वि0स0पु0–5, थाना–हवाई अड्डा थाना, पटना–800014.

आलोक राज
भा0पु0से0
पुलिस महानिदेशक सह–अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक

दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2224529
मोबाईल नं0 : 9471006800
ई–मेल : policenigam@bihar.gov.in
वेबसाईट : www.bpbcc.bihar.gov.in

संचिका सं0–स्था0/अपील-प्राधि0-01/2025/पु0नि0 दिनांक–.....2025

आदेश सं0 –43./2025

श्री अरबिन्द कुमार, पिता–श्री किशोर श्रीवास्तव, पता–हथसारगंज, निशाद गैस गोदाम के नजदीक, पो0–हाजीपुर टाउन, थाना–हाजीपुर, जिला–वैशाली, पिन कोड–844101, पार्टनर, मेसर्स अमन अडवीक कंस्ट्रक्शन के द्वारा मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश–209/2023, सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 1912 दिनांक–03.06.2023, जिससे बिहार निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका–11(क)7 के प्रावधानों के तहत पार्टनरशिप फर्म मे0 अमन अडवीक कंस्ट्रक्शन के निबंधन संख्या– प्रथम 12/2022 (पार्टनरशीप), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को आदेश निर्गत होने की तिथि से, निबंधन की वैधता की शेष अवधि अर्थात दिनांक–22.06.2027 तक के लिये कालीकृत किया गया है, को निरस्त करने हेतु यह अपील दायर किया गया है।

2. इस मामले से संबंधित अभिलेख का अवलोकन किया गया। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा अन्य कार्यों के अतिरिक्त ई–निविदा सूचना सं0– 05/SBD /2022–23 के माध्यम से, भोजपुर जिलान्तर्गत कृष्णागढ़ थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी।

3. ई–निविदा की कंडिका–21 एवं 22 में निम्न शर्तें अंकित थी :–

21– अग्रधन के रूप में छः/पाँच वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र/बैंक ड्राफ्ट/किसान विकास पत्र/(तीन वर्षीय) डाकघर सावधि जमा/अनुसूचित बैंक का फिक्सड डिपोजित प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय बैंक का बैंक गारंटी, जो संबंधित कार्य प्रमण्डल, कार्यपालक अभियंता के पदनाम से निविदा के बाद की तिथि का विधिवत प्रतिज्ञापित किया हो वैध होगा अथवा बैंक गारंटी जो बीड के मान्य अवधि तक के लिए बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीय बैंक या अनुसूचित बैंक से निर्गत हो। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारंटी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत कराया जाना अनिवार्य होगा) अग्रधन के रूप में जमा किये जाने वाले कागजात की सभी प्रति निविदा जमा (अपलोड) करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा। अग्रधन (Earnest Money) की राशि के रूप में जमा डिमान्ड ड्रफ्ट के पीछे निविदाकार का नाम, निविदा सूचना सं0 तथा ग्रुप सं0 अंकित कर समर्पित किया जाय।

22– सशर्त बैंक गारंटी स्वीकार नहीं किया जाएगा। S.B.D के विहित प्रपत्र के अनुरूप ही बैंक गारंटी स्वीकार किया जाएगा।

4. ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि–23.06.2022 से 30.06.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की गयी थी।

5. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–एच0क्यू0 1785 दिनांक–23.06.2022 के द्वारा ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि–29.06.2022 से 07.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।

6. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–एच0क्यू0 1853 दिनांक–28.06.2022 के द्वारा पुनः ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि–12.07.2022 से 21.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।

7. उक्त ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 के आलोक में भोजपुर जिलान्तर्गत कृष्णागढ़ थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य हेतु 03 संवेदकों के द्वारा यथा–मे0 अमन अडवीक कंस्ट्रक्शन, 2–बबन पाण्डेय, तथा 3–मे0 ए0आर0 कंस्ट्रक्शन द्वारा निविदा समर्पित की गयी।

8. ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 के उक्त योजना की तकनीकी बीड का मूल्यांकन किया गया, जिसमें निविदाकार मे0 ए0 आर0 कंस्ट्रक्शन का तकनीकी बीड मूल्यांकन में असफल पाया गया। शेष 02 निविदाकार मे0 अमन अडवीक कंस्ट्रक्शन तथा बबन पाण्डेय का तकनीकी बीड, मूल्यांकन में सफल पाया गया।

9. मे0 अमन अडवीक कंस्ट्रक्शन द्वारा निविदा की शर्त सं0–21 एवं 22 के आलोक में पंजाब नेशनल बैंक, बिक्रमगंज शाखा, रोहतास द्वारा निर्गत BG No.- 648200 एवं BG No.-002805 समर्पित किया गया, जिसकी कुल राशि 10,90,000/– रू0 थी।

10. उक्त बैंक गारंटी दिनांक–20.07.2022 को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय में समर्पित किया गया। उक्त बैंक गारंटी BG No.- 648200 एवं BG No.-002805 का सत्यापन, निर्गत बैंक शाखा (पंजाब नेशनल बैंक, बिक्रमगंज शाखा, रोहतास से) निगम के पत्रांक–288 (अनु0), पटना दिनांक–14.03.2023 से कराया गया।

11. निगम के पत्रांक–288 (अनु0), पटना दिनांक–14.03.2023 के अनुपालन में, उक्त दोनों बैंक गारंटी BG No.- 648200 एवं BG No.-002805 के संबंध में पंजाब नेशनल बैंक, बिक्रमगंज शाखा, रोहतास ने, दिनांक–16.03.2023 को 01:09 अपराह्न को भेजे गये ई–मेल से सूचित किया कि उक्त बैंक के द्वारा निगम के पक्ष में कोई बैंक गारंटी या बैंक सर्टीफिकेट जारी नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया बैंक गारंटी फर्जी प्रकृति का है। उक्त बैंक द्वारा निगम को परामर्श दिया गया कि निविदाकार के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाय और उनका KYC से संबंधित कागजात बैंक को उपलब्ध करायी जाय, ताकि उनके स्तर से भी निविदाकार के विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाय। बैंक ने पुनः परामर्श दिया कि उक्त बैंक गारंटी के आधार पर निविदाकार को कोई संविदा आवंटित नहीं की जाय।

12. पंजाब नेशनल बैंक, बिक्रमगंज शाखा, रोहतास से बैंक गारंटी के फर्जी होने की सूचना प्राप्त होने पर निगम के पत्रांक–SE-60 दिनांक–20.03.2023 से मे0 अमन अडवीक कंस्ट्रक्शन से उनके द्वारा जमा की गयी, बैंक गारंटी एवं बैंक सर्टिफिकेट के जाली होने के

संबंध में 05 दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया, किन्तु मे0 अमन अडवीक कंस्ट्रक्शन एवं उनके साझेदारों द्वारा दिनांक–05.04.2023 तक कोई स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

13. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मे0 अमन–अडवीक कंस्ट्रक्शन एवं फर्म के पार्टनर श्रीमती रीमा तिवारी, पति–श्री पंकज तिवारी, स्थायी पता–जगतपुर, पोस्ट–लकरीनवीगंज, जिला–सिवान, पिन कोड–841406, वर्तमान पता–द्वारा पंकज तिवारी, कृष्णा वाटिका, पश्चिमी बेली रोड़, दानापुर सह खगौल, पटना, पिन कोड–801503 तथा अन्य पार्टनर श्री अरबिन्द कुमार, पिता–श्री किशोर श्रीवास्तव, पता–हथसारगंज, निशाद गैस गोदाम के नजदीक, पोस्ट–हाजीपुर, थाना–हाजीपुर टाउन, जिला–वैशाली, पिन कोड–844101 के द्वारा आपराधिक षड़यत्र एवं जालसाजी कर बैंक गारंटी सं0– BG No.- 648200 एवं BG No.-002805 को तैयार किया गया और उक्त जाली बैंक गारंटी निगम में समर्पित कर, छल पूर्वक निगम से कार्य आंवटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इस जालसाजी के लिये मे0 अमन–अडवीक कंस्ट्रक्शन एवं फर्म के दोनों पार्टनर के विरूद्ध हवाई अड्डा थाना, पटना काण्ड सं0–71/2023 दिनांक– 10.04.2023 U/S 467/468/471/420/120B/511 IPC दर्ज की गयी है।

14. तत्पश्चात आपराधिक षडयंत्र के तहत जाली बैंक गारंटी निगम में समर्पित कर छल पूर्वक निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने हेतु, बिहार निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका–11.(क).7 के प्रावधानों के तहत, मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश सं0–209/2023, सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 1912 दिनांक–03.06.2023 के द्वारा पार्टनरशिप फर्म मे0 अमन अडवीक कंस्ट्रक्शन के निबंधन सं0–प्रथम 12/2022 (पार्टनरशीप), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को आदेश निर्गत होने की तिथि से, निबंधन की वैधता की शेष अवधि अर्थात् दिनांक–02.06.2027 तक के लिये कालीकृत करने का आदेश पारित किया गया।

15. अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील आवेदन में कहा गया है कि

(i) अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2 का पत्र सं0–SE-60 दिनांक–20.03.2023, जिससे जाली बैंक गारंटी एवं बैंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में उनसे कारण पृच्छा की गयी, वह पत्र उन्हे नहीं प्राप्त हुआ। उसके बाद उपर्युक्त पत्र के प्रसंग में पत्र सं0–SE 65 दिनांक–05.04.2023 के माध्यम से अनुस्मारक जारी किया गया, जिससे 01 सप्ताह के अन्दर उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इस बीच बैंक से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर पत्रांक–409 दिनांक–10.04.2023 से निगम के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का निर्णय लिया गया।

(ii) जाली बैंक गारंटी प्रस्तुत कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के साथ जालसाजी करने के कारण उनके निबंधन को निलंबित कर उसे काली सूची में डालने के संबंध में मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के ज्ञापांक–WA/C-10657/222-23P 1210 दिनांक–21.04.2023 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण पर फर्म के पत्र सं0–AAC/2023-24/05 दिनांक–22.05.2023 द्वारा जवाब दिया गया और जाँच पूरी होने तक कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध किया गया, क्योंकि आपराधिक मामले के साथ साथ काली सूची में डालने की कार्यवाही समान

तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित थी, इसलिये गुणदोष के आधार पर उत्तर प्रस्तुत करने से आपराधिक अभियोजन में अपीलकर्ता के बचाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।

(iii) उपर्युक्त के बावजूद मुख्य अभियंता के कार्यालय आदेश सं0–209/2023, सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 1912 दिनांक–03.06.2023 जारी किया गया, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर उत्तर को खारिज कर अपीलकर्ता के निबंधन को, निबंधन की वैधता की शेष अवधि अर्थात दिनांक–02.06.2027 तक के लिये कालीकृत किया गया।

(iv) मुख्य अभियंता के उपर्युक्त आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट पिटिशन, सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–15690/2023 दायर किया गया, जिसे आदेश दिनांक–19.04.2024 के तहत वापस ले लिया गया।

(II) कारण बताओ नोटिस, दिनांक–20.03.2023 की चुनौती का आधारः–

(i) अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2 के पत्र सं0–SE-60 दिनांक–20.03.2023 के द्वारा निर्गत कारण पृच्छा नोटिस बिलकुल मनमाना, दुर्भावनापूर्ण एवं अवैध है।

(ii) उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस एक अक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया है, क्योकि अधीक्षण अभियंता बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकार नही हैं।

(iii) उपर्युक्त कारण पृच्छा नोटिस तथ्य विहीन एवं अस्पष्ट है। यह विचारित कार्रवाई का खुलासा नहीं करता है, इसलिये वैधानिक रूप से धारणीय नहीं है।

(III) काली सूची में डालने का आदेश, दिनांक–03.06.2023 को चुनौती का आधारः–

(i) दिनांक–03.06.2023 का काली सूची में डालने का आदेश, मूल अधिकार के दायरे से बाहर, मनमाना, दुर्भावनापूर्ण एवं अवैध है।

(ii) उपर्युक्त आदेश निर्गत करने से पूर्व किसी सक्षम पदाधिकारी के द्वारा वैध कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था।

(iii) कारण बताओ नोटिस का जवाब देने से पहले ही दिनांक–10.04.2023 को प्राथमिकी दर्ज करने की निगम की अनुचित जल्दबाजी के कारण यह पूरी कार्यवाही दूषित हो जाती है।

(iv) जालसाजी के आरोप के संबंध में मुख्य अभियंता के आदेश के निष्कर्ष ने वास्तव में अनुसंधान या अनुसंधान के उद्देश्य को समाप्त कर दिया है।

16. दिनांक–29.01.2025 को अपीलार्थी उपस्थित हुये। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के द्वारा अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया गया। उनके द्वारा बताया गया कि पुलिस निगम में वे पहले से भी कार्य कर रहे हैं। संदर्भित बैंक गारंटी भूलवश उनके फर्म के कर्मचारी द्वारा अपलोड किया गया।

अपीलकर्ता का यह कथन कि अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2 का पत्र सं0–SE-60 दिनांक–20.03.2023, जिससे जाली बैंक गारंटी एवं बैंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में उनसे कारण पृच्छा की गयी, वह पत्र उन्हे नहीं प्राप्त हुआ, मान्य नहीं है। यह पत्र,

दिनांक–21.03.2023 को अपराह्न 17:08 बजे फर्म के email id-aachajipur@gmail.com पर भेजा गया है।

अपीलकर्ता का यह कथन भी कि अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2 के पत्र सं0–SE-60 दिनांक–20.03.2023 के द्वारा कारण पृच्छा नोटिस अक्षम पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया है, क्योंकि अधीक्षण अभियंता, बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकार नहीं है, relevant नहीं है। अधीक्षण अभियंता अपने कार्य अंचल से संबंधित निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष होते हैं। अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्र सं0– SE-60 दिनांक–20.03.2023 के द्वारा निर्गत उपर्युक्त कारण पृच्छा, ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022–23 के आलोक में प्राप्त निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन के क्रम में अपीलकर्ता के फर्म के विरूद्ध बैंक से प्राप्त प्रतिकूल प्रतिवेदन के आलोक में तकनीकी मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष के रूप में की गयी है, न कि बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत।

अपीलकर्ता के अपील आवेदन में कहा गया है कि उनके फर्म को काली सूची में डालने का आदेश, दिनांक–03.06.2023 निर्गत करने के पूर्व किसी सक्षम पदाधिकारी के द्वारा वैध कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत है:–

(i) पार्टनरशिप फर्म मे0 अमन–अडवीक कंस्ट्रक्शन के दोनों पार्टनर से बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका–11 के तहत, मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के ज्ञापांक–WA/C-10657/22-23 एच0क्यू0 1210 दिनांक–21.04.23 द्वारा कारण पृच्छा की गयी कि क्यों नहीं उक्त आपराधिक षडयंत्र, जालसाजी एवं छल करने के आरोप में, फर्म के निबंधन को निलंबित कर उसे काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाय।

(ii) कारण पृच्छा का जवाब प्राप्त नहीं होने पर, मुख्य अभियंता के पत्रांक–एच0क्यू0 1684 (अनु0) दिनांक–18.05.2023 के द्वारा मे0 अमन–अडवीक कंस्ट्रक्शन के दोनों पार्टनर को जवाब हेतु, पत्र प्राप्ति से, 07 दिन का और समय दिया गया।

(iii) ऊपर उप कंडिका–(i) में उल्लेखित निगम के पत्र के प्रसंग में पार्टनरशिप फर्म मे0 अमन–अडवीक कंस्ट्रक्शन की ओर से एक पत्र, पत्रांक–AAC/2023-24/05 दिनांक–22.05.2023, फर्म के पार्टनर श्री अरबिन्द कुमार के हस्ताक्षर से प्राप्त हुआ। इस पत्र की कंडिका–1 में उल्लेख किया गया है कि पंजाब नेशनल बैंक, बिक्रमगंज शाखा, रोहतास से बैंक गारंटी फर्जी होने की सूचना प्राप्त होने पर स्पष्टीकरण हेतु प्रेषित निगम का पत्रांक–SE-60 दिनांक–20.03.2023, उन्हें दिनांक–12.04.2023 को प्राप्त हुआ, जिसके क्रम में दिनांक–13.04.2023 को उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। फर्म द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की प्रति परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न की गयी।

पत्रांक–AAC/2023-24/02 दिनांक–13.04.2023 से प्रेषित उपर्युक्त परिशिष्ट–1 में उल्लेख किया गया कि " भुलवश मेरे फर्म के कर्मचारी द्वारा NIT-05/2022-23 के क्रमांक–21 में डाले गये निविदा में बैंक गारन्टी एवं बैंक सटिफिकेट गलत अपलोड कर दिया गया जिसकी जानकारी श्रीमान द्वारा निर्गत पत्र के माध्यम से मुझे हुआ है "।

उपर्युक्त पत्रांक–AAC/2023-24/05 दिनांक–22.05.2023 की कंडिका–3 में फर्म के द्वारा कहा गया है कि " चूंकि संबंधित मामले में आपराधिक वाद दायर किया जा चुका है, जो अभी अनुसंधानरत है, तो ऐसी स्थिति में उसी प्राथमिकी को आधार बनाकर जब तक अनुसंधान पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के सुसंगत धाराओं के अधिन कार्रवाई किया जाना न्याय संगत नहीं होगा "।

(iv) पार्टनरशिप फर्म मे0 अमन–अडवीक कंस्ट्रक्शन की ओर से प्राप्त उपर्युक्त दोनों पत्रांक–AAC/2023-24/02 दिनांक–13.04.2023 एवं पत्रांक–AAC/2023-24/05 दिनांक–22.05.23 की सम्यक समीक्षा मुख्य अभियंता द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त मुख्य अभियंता द्वारा यह पाया गया कि पार्टनरशिप फर्म मे0 अमन–अडवीक कंस्ट्रक्शन के उपर आपराधिक षडयंत्र, जालसाजी एवं छल करने के जो आरोप लगाये गये हैं, वह सही है एवं फर्म के उपर्युक्त पत्रों से इसकी पुष्टि होती है। पार्टनरशिप फर्म मे0 अमन–अडवीक कंस्ट्रक्शन की ओर से इन तथ्यों का कोई खंडन प्रस्तुत नहीं किया गया है, अपितु इसे स्वीकार किया गया है।

फर्म की ओर से यह कहना है कि " चूंकि संबंधित मामले में आपराधिक वाद दायर किया जा चुका है, जो अभी अनुसंधानरत है, तो ऐसी स्थिति में उसी प्राथमिकी को आधार बनाकर जब तक अनुसंधान पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के सुसंगत धाराओं के अधिन कार्रवाई किया जाना न्याय संगत नहीं होगा ", सही नहीं है।

किसी फर्म या व्यक्ति के द्वारा किया गया आपराधिक कृत के संबंध में आपराधिक कार्रवाई तथा जालसाजी कर छल पूर्वक कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने के प्रयास के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई, अलग–अलग प्रावधानों के तहत अलग–अलग कार्रवाई है। फर्म द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है, इसलिये बिहार निबंधन नियमावली, 2007 के तहत कार्रवाई नहीं करने का कोई वैधानिक आधार नहीं बनता है।

फलस्वरूप मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश–209/2023 दिनांक–03.06.2023 के द्वारा फर्म के निबंधन को, निबंधन की वैधता की शेष अवधि अर्थात दिनांक–02.06.2027 तक के लिये कालीकृत कर दिया गया है।

17. अपीलकर्ता के द्वारा अपने अपील आवेदन अथवा अपील अभ्यावेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में यह कही नहीं कहा गया है कि फर्म के द्वारा जाली बैंक गारंटी समर्पित नहीं किया गया है, अथवा उनके द्वारा समर्पित बैंक गारंटी सही(genuine) है, जो इस तथ्य को स्वतः प्रमाणित करता है कि फर्म के द्वारा जाली बैंक गारंटी समर्पित कर निविदा कार्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

18. अतः ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD /2022–23 के माध्यम से, भोजपुर जिलान्तर्गत कृष्णागढ़ थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य के लिये आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली बैंक गारंटी एवं बैंक प्रमाण पत्र तैयार कर तथा उक्त जाली बैंक गारंटी एवं प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने के प्रयास के लिये मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश–209/2023, सहपठित ज्ञापांक–

एच0क्यू0 1912 दिनांक–03.06.2023, जिससे बिहार निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका–11(क)7 के प्रावधानों के तहत पार्टनरशिप फर्म मे0 अमन अडवीक कंस्ट्रक्शन के निबंधन संख्या–प्रथम 12/2022 (पार्टनरशीप), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को आदेश निर्गत होने के तिथि से, निबंधन की वैधता की शेष अवधि अर्थात दिनांक–22.06.2027 तक के लिये कालीकृत किया गया है, नियमसंगत तथा फर्म द्वारा बरती गयी अनियमितता के समानुपातिक है। मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के उपर्युक्त आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अपील अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ..... ./ पटना, दिनांक – 2025

प्रतिलिपिः– श्री अरबिन्द कुमार, पिता–श्री किशोर श्रीवास्तव, पार्टनर, मेसर्स अमन अडवीक कंस्ट्रक्शन, पता–हथसारगंज, निशाद गैस गोदाम के नजदीक, पो0–हाजीपुर टाउन, थाना–हाजीपुर, जिला–वैशाली, पिन कोड–844101 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ..... ./ पटना, दिनांक – 2025

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदशेक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं अधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य कार्यपालक अभियंता, बिहार ग्रामीण कार्य विकास अधिकरण, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ......1Ha 521...... ./   पटना, दिनांक – ......7/ 21......2025

प्रतिलिपिः– श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

07/2/25

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम